I/87773/2022

उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग–2
देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

आवास विभाग की अधिसूचना संख्या– I/87548/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण, विकास एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/वित्त/पर्यटन/ऊर्जा/राजस्व/परिवहन/नियोजन/गृह/लो0नि0विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6– उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7– उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8– समस्त उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
11– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना के प्रारूप को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 के संबंधित खण्ड में प्रकशित करते हुए, इनकी 150–150 प्रतियाँ आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को यथाशिघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13– गार्ड फाईल।

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 30-12-2022 16:37:47

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव।

I/87548/2022

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या–87548/V–2/2022–72(आ0)2019
देहरादून: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2022।

अधिसूचना

राज्य में विभिन्न शहरों में जनसंख्या वृद्धि तथा व्यावसायिक एवं पर्यटन से संबंधित गतिविधियों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत, पार्किंग को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ एवं नियोजित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में पार्किंग निर्माण किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। देश का प्रमुख पर्यटन प्रदेश होने से, राज्य में वर्ष भर देश विदेश से यात्रियों का आवागमन होता है, इसके अतिरिक्त राज्य में वाहनों की संख्या में निरन्तर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। राज्य में आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों हेतु भी सार्वजनिक सुलभ पार्किंग की उपलब्धता न होने से मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग की जाती है, इससे ट्रैफिक जाम के कारण ईंधन की खपत अधिक होती है, जिसके पर्यावरणीय प्रभाव के साथ–साथ नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पर्यटन प्रदेश होने के कारण आने वाले पर्यटकों को भी सुलभ आवागमन की सेवा प्रदान किये जाने में कठिनाई होती है। स्थानीय स्तर पर पार्किंग की उपलब्धता, सुलभ आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी तथा इसके साथ–साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (यथा समय–समय पर संशोधित) की धारा 7(vii) के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु धारा 55(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के लिये एतद्दारा श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली प्रख्यापन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

"उत्तराखण्ड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण, विकास एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022"

1. लघु शीर्षक, प्रारम्भ, विस्तार एवं उपयुक्तता

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण, विकास एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022" हैं।
2. यह उत्तराखण्ड राज्य में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
3. यह उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के संबंध में लागू होंगे, यदि ये स्पष्ट रूप से कहीं अन्यथा न बताये गये हों।

2. परिभाषाएं

Generated from eOffice by RAGHBENDRA SINGH RANA, RO-RSR, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 30/12/2022 12:40 PM